न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री अशोक कुमार त्यागी **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 560/2018 निर्णय दिनांक :– 10.06.2019

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. घीसालाल पुत्र किस्तुरा जाति कीर निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. संतोष पुत्री मोहन लाला जाति कीर निवासी देवली तहसील दवली जिला टोंक राजस्थान।
3. सुमन पुत्री मोहन लाला जाति कीर निवासी देवली तहसील दवली जिला टोंक राजस्थान।
4. कान्ता पुत्री मोहन लाला जाति कीर निवासी देवली तहसील दवली जिला टोंक राजस्थान।
5. मनोज कुमार पुत्र नन्द किशोर जाति घोसी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
6. भागचन्द पुत्र नारायण जाति ब्रहाम्ण त्रिपाठी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. शशि कुमार हावा पुत्र रामकिशन जाति ब्रहाम्ण त्रिपाठी निवासी हनुमान नगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान।
8. तहसीलदार देवली जिला टोंक राजस्थान

–प्रार्थी–

बनाम

1. मिठ्ठन पुत्र मोहनलाल जाति घोसी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. राकेश पुत्र मोहनलाल जाति घोसी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. सुगनी देवी बेवा मोहनलाल जाति घोसी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. आत्माराम पुत्र बल्ला जाति घोसी निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण
2, 3,व 7 से 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0अ0 अधिनियम

पत्रावली न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि अधीनस्थ न्यायालय चाहे तो स्वयं अथवा सम्बन्धित तहसीलदार से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब करे, तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4013 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 4015 रकबा 0.48 है0, कुल किता–2 कुल रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने के लिए वर्षो से खसरा नम्बर 4005 के हिस्से में से मेड के पास से रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी की जमीन में आने जाने के लिए कर रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 4013 एवं 4015 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 4005 में से रास्ता चाहता है। खसरा नम्बर 4005 में से रास्ते के लिए उपयोग मे आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से न्यायालय आदेशानुसार खातेदारों को रकम अदा करने को तैयार है।

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार देवली से मौके की विस्तृत रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार देवली ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए मौका व रिकॉर्ड के अनुसार रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। मौके की स्थिति के अनुसार उपस्थित लोगो द्वारा ख. नं. 4013 व ख. नं. 4015 में जाने के लिए पूर्व से ख. नं. 4013 की पूर्वी दिशा में से होकर ख. नं. 4017 में से होते हुए ख. नं. 4015 पर पहुंचता है जो पर्चा मौका रिपोर्ट के परिशिष्ट 'अ" पर अवलोकनार्थ पेश की है। प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 66 मीटर होगी अर्थात 396 वर्गमीटर क्षैत्रफल होगा। अन्य रास्ता बिन्दू ' अ ' के अनुसार 6 मीटर व लम्बाई 132 मीटर होगी अर्थात 792 वर्गमीटर क्षैत्रफल होगा। वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार दुगनी प्रतिकर राशि 80080/– रूपये है। आवेदक आराजी ख. नं. 4013 रकबा 0.41 है0, 4015 रकबा 0.48 है0 श्री घीसालाल किस्तुरी जाति कीर सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ख. नं. 4005 में से रास्ता चाहता है। प्रस्तावित स्थल नक्शा ट्रेस में लाल स्याही अंकित कर संलग्न है। बिन्दू ' अ ' अंकित रास्ते की प्रस्तावित भूमि में ख. नं. 4017 में पायल देवी की झोपड़ी बनी हुई है। आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नही है।

अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी श्री बाबूलाल मीणा ने कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी ख. नं. 4013 रकबा 0.41 है0, 4015 रकबा 0.48 है0 में जाने हेतु ख. नं. 4005 में रास्ता दिया जाना उचित है और प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है और प्रार्थी इसके लिए प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री अशोक कुमार गुप्ता ने कथन किया कि प्रार्थी क्लीन हैन्ड से न्यायालय से न्यायालय में नही आया है। उक्त आराजी में से प्रार्थी कुछ प्लॉट काटकर बेच चुका है और शेष आराजी में से भी प्लॉट काटकर बेचना चाहता है। इसलिए प्रार्थी रास्ते की मॉग कर रहा है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु रास्ता नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 के अनुसार प्रार्थी ने कुछ प्लॉट काटकर बेचान कर दिया और कुछ बेचान करना चाहता है, इस संदर्भ में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये है और न ही तहसीलदार देवली ने इस बाबत कोई टिप्पणी अपनी रिपोर्ट में की है। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अतः तहसीलदार देवली रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता बिन्दु 'ब' के अनुसार चौड़ाई 6 मीटर एवं लम्बाई 66 मीटर अर्थात 396 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थी द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 80080/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान कर रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.06.2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली